


कारों एवं अंश-नापकों
आदि के हस्ताक्षर



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/2014 निगरानी

निगा-1700-I-14

सालगराम पिता श्री आशारामजी, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी-ग्राम खोखराकंला तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (म.प्र.) -----प्रा

विरुद्ध

1. विष्णुप्रसाद पिता श्री नानुरामजी,
2. सिद्धनाथ पिता श्री शंकरलालजी,
3. नारायणप्रसाद पिता श्री शंकरलालजी, समस्त कुल्मी, निवासीगण-ग्राम खोखराकंला तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (म.प्र.)
4. प्रभुलाल पिता श्री मोतीलालजी कुल्मी निवासी-ग्राम खोखराकंला तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (म.प्र.)
5. गंगाबाई पति श्री बंदीप्रसादजी, आयु 60 वर्ष, निवासी-ग्राम शेखपुरा तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) -----प्रतिप्रार्थी

श्री-
सिद्धनाथ (पिता)
श्री-
नारायणप्रसाद (पिता)
श्री-
प्रभुलाल (पिता)
श्री-
गंगाबाई (पति)
श्री-
बंदीप्रसाद (पति)

31.5.14


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

48

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R-1700-I/14 जिला

शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-7-14 उज्जैन केंद्र	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धृत कर्तों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के आदेश दि. 13-5-14 की सत्यप्रतिनिधि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष उद्धृत की गई है।</p> <p>2- अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा उद्धृत दोनों निगरानी की अक्षीनत्व न्यायालयों द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा तीसरी निगरानी सुनने का कोई औचित्य नहीं होने से उधमदृष्टया यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्रगण्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	